बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र0 / BSPTCL–05 / 2017 पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः **बिहार राज्य के अंतर्गत पटना एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के संचरण प्रणाली का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 द्वारा कार्यान्वित 400 के0भी0 जी0आई0एस0 सब स्टेशन, बख्तियारपुर एवं सम्बन्धित संचरण लाइन के लिए कुल रू0 664.76 करोड़(छः सौ चौसठ करोड़ छिहत्तर लाख) की योजना की स्वीकृति एवं कुल स्वीकृत राशि का 20% अर्थात 132.95 करोड़ (एक सौ बत्तीस करोड़ पंचानवे लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप, तथा शेष 80% अर्थात् 531.81 (पॉच सौ इकतीस करोड़ इकासी लाख) करोड़ रू0 राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में 25.00 करोड़ (पच्चीस करोड़) रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

पटना एवं समीपवर्ती क्षेत्रों की अपेक्षित विद्युत माँग को पूरा करने हेतु ट्रांसमिशन कम्पनी एवं पावरग्रिड के संयुक्त प्रयास से विस्तृत संचरण प्रणाली का अध्ययनोंपरांत संचरण प्रणाली के विस्तारीकरण, उन्नयण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु योजना बनायी गयी है। जो योजना के अंत में राज्य की सम्भावित विद्युत माँग को पूरा कर सकेगी। उपर्युक्त योजना के तहत लिये गये कार्यो पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी सहमति प्राप्त है। इस योजना के अन्तर्गत अन्य कार्यों के अलावा एक नये 400 / 220 / 132 के0भी0 के ग्रिड उपकेन्द्र, बख्तियारपुर तथा इससे सम्बन्धित 400 के0भी0 के 20 सर्किट किलोमीटर, 220 के0भी0 के 262 सर्किट किलोमीटर एवं 132 के0भी0 के 106 सर्किट किलोमीटर संचरण लाइन (अनुमानित) का निर्माण बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के द्वारा किया जाना है। जिसका अनुमानित लागत 664.76 करोड़ रू0 है। इस योजना को 2020–21 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

2. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य के अंतर्गत पटना एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के संचरण प्रणाली का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 द्वारा कार्यान्वित 400 के0भी0 जी0आई0एस0 सब स्टेशन, बख्तियारपुर एवं सम्बन्धित संचरण लाइन के लिए कुल रू0 664.76 करोड़(छः सौ चौसठ करोड़ छिहत्तर लाख) की योजना की स्वीकृति एवं कुल स्वीकृत राशि का 20% अर्थात 132.95 करोड़ (एक सौ बत्तीस करोड़ पंचानवे लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप, तथा शेष 80% अर्थात् 531.81 (पॉच सौ इकतीस करोड़ इकासी लाख) करोड़ रू0 राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में 25.00 करोड़ (पच्चीस करोड़) रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष– 190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग सं0–10–उपशीर्ष–0111 बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 विपत्र कोड–P4801051900111 विषय शीर्ष–5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0044–बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि०, व्यय शीर्ष–L8448001200044 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200044 में जमा की जाएगी।

5. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA272 से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0/BSPTCL–05/2017 के पृष्ठ संख्या–08/टि0 पर दिनांक–07.11.2017 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0/BSPTCL–05/2017 पृष्ठ संख्या–11/टि0 पर दिनांक–08.11.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/BSPTCL–05/2017 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/BSPTCL–05/2017 3494 /पटना, दिनांक– 20/11/2017

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/उप महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

E:/Baljeet Jha/Energy Department(Allotments & Others Letter)

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक– प्र0/BSPTCL–06/2017 पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः **बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के संचरण प्रणाली को वर्ष 2021–22 के अन्त तक बिहार के कुल विद्युत माँग को पूरा करने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत 400 के0भी0 के तीन ग्रिड उपकेन्द्र क्रमशः सीतामढ़ी, सहरसा एवं चन्दौती से सम्बन्धित Downlinking संचरण प्रणाली के निर्माण हेतु 1409.36 करोड़ (चौदह सौ नौ करोड़ छत्तीस लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि का 20% अर्थात 281.87 करोड़(दो सौ इक्यासी करोड़ सतासी लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप तथा शेष 80% अर्थात् 1127.49 करोड़ (ग्यारह सौ सताईस करोड़ उनचास लाख) रू0 राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में तत्काल 20.00 करोड़ (बीस करोड़) रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा कराये गये 19वीं पावर सर्वे के अनुसार बिहार राज्य की शीर्ष विद्युत् माँग 6576 मेगावाट सम्भावित है। इस माँग को पूरा करने हेतु ट्रांसमिशन कम्पनी एवं पावरग्रिड के संयुक्त प्रयास से विस्तृत संचरण प्रणाली के अध्ययनोंपरांत 400 के0भी0 एवं 220 के0भी0 स्तर पर वर्ष 2021–22 के अन्त तक कुल विद्युत मांग के अनुरूप संचरण प्रणाली विस्तृत करने हेतु योजना बनायी गयी है जो राज्य की सम्भावित विद्युत माँग को पूरा कर सकेगी। उपर्युक्त योजना के तहत लिये गये कार्यों पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी सहमति प्राप्त है।

2. योजना में केन्द्र के माध्यम से Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) के द्वारा तीन नये 400/220/132 के0भी0 के ग्रिड उपकेन्द्र (ISTS) क्रमशः सीतामढ़ी, सहरसा एवं चंदौती में बनाये जाने है। उपर्युक्त तीनों नये ग्रिड उपकेन्द्रों से संबंधित 220/132/33 के0भी0 ग्रिड उपकेन्द्र रक्सौल एवं 220 के0भी0 के 930 सर्किट किलोमीटर एवं 132 के0भी0 के 407 सर्किट किलोमीटर (अनुमानित) संचरण लाईन का निर्माण बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 द्वारा किया जाना है। योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल प्राक्कलित राशि 1409.36 करोड़ (चौदह सौ नौ करोड़ छत्तीस लाख) रूपये अनुमानित है। इस योजना के कार्यान्वयन के बाद संचरण प्रणाली 400 के0भी0 एवं 220 के0भी0 स्तर पर वर्ष 2021–22 के अन्त तक कुल विद्युत माँग को पूरा करने में सक्षम हो जायेगी। इस योजना को 2021–22 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

3. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के संचरण प्रणाली को वर्ष 2021–22 के अन्त तक बिहार के कुल विद्युत माँग को पूरा करने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत 400 के0भी0 के तीन ग्रिड उपकेन्द्र क्रमशः सीतामढ़ी, सहरसा एवं चन्दौती से सम्बन्धित Downlinking संचरण प्रणाली के निर्माण हेतु 1409.36 करोड़ (चौदह सौ नौ करोड़ छत्तीस लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि का 20% अर्थात 281.87 करोड़(दो सौ इक्यासी करोड़ सतासी लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप तथा शेष 80% अर्थात् 1127.49 करोड़ (ग्यारह सौ सताईस करोड़ उनचास लाख) रू0 राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में तत्काल 20.00 करोड़ (बीस करोड़) रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0101– बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 की परियोजना, माँग सं0–10, विपत्र कोड–10–4801057890101 विषय शीर्ष 5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं शेष अगले वित्तीय वर्षों में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0044–बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि०, व्यय शीर्ष–L8448001200044 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200044 में जमा की जाएगी।

6. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA272 से की जाएगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0/BSPTCL–06/2017 के पृष्ठ संख्या–8/टि0 पर दिनांक–07.11.2017 को प्राप्त है।

9. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0/BSPTCL–06/2017 पृष्ठ संख्या–11/टि0 पर दिनांक–08.11.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/BSPTCL–06/2017 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/BSPTCL–06/2017 3488 /पटना, दिनांक– 20/11/2017

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/उप महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक– प्र0/BSPTCL–07/2017 पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः **बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के संचरण प्रणाली को वर्ष 2021–22 के अन्त तक बिहार के कुल विद्युत माँग को पूरा करने हेतु संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु 1097.21 करोड़(एक हजार सन्तानवे करोड़ इक्कीस लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं कुल स्वीकृत राशि का 20% की अर्थात 219.44 करोड़ (दौ सौ उन्नीस करोड़ चौवालीस लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप तथा शेष 80% अर्थात् 877.77 करोड़ (आठ सौ सत्तहतर करोड़ सत्तहतर लाख) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में तत्काल 20.00 करोड़ (बीस करोड़) रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा कराये गये 19वीं पावर सर्वे के अनुसार बिहार राज्य की शीर्ष विद्युत् माँग 6576 मेगावाट सम्भावित है। इस माँग को पूरा करने हेतु ट्रांसमिशन कम्पनी एवं पावरग्रिड के संयुक्त प्रयास से विस्तृत संचरण प्रणाली के अध्ययनोंपरांत 400 के0भी0 एवं 220 के0भी0 स्तर पर वर्ष 2021–22 के अन्त तक कुल विद्युत माँग के अनुरूप संचरण प्रणाली विस्तृत करने हेतु योजना बनायी गयी है जो राज्य की सम्भावित विद्युत माँग को पूरा कर सकेगी। उक्त योजना के तहत लिये गये कार्यों पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी सहमति प्राप्त है।

2. इस योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित होने वाली कार्यों का संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रकार है:

- ➢ एक नये 220/132/33 के0भी0 ग्रिड उपकेन्द्र कर्मनाशा एवं एक 132/33 के0भी0 ग्रिड उपकेन्द्र कोढ़ा का 220/132 के0भी0 स्तर पर विस्तारीकरण परियोजनाओं से सम्बन्धित 220 के0भी0 के 120 सर्किट किलोमीटर एवं 132 के0भी0 के 147 सर्किट किलोमीटर (अनुमानित)संचरण लाइन का निर्माण।
- ➢ राज्य के 13 अदद पुराने 132 के0भी0 के (473.42 सर्किट किलोमीटर) संचरण लाइनों का HTLS Conductor (capacity –240 MVA, 1050 A) द्वारा Reconductoring कार्य।
- ➢ राज्य के 09 अदद ग्रिड सब–स्टेशनों में ट्रांसफार्मरों का क्षमता विस्तार।
- ➢ राज्य में 220 के0भी0 के (अनुमानित 130 सर्किट किलोमीटर) एवं 132 के0भी0 के (अनुमानित 130 सर्किट किलोमीटर) नये संचरण लाइन का निर्माण।

उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल प्राक्कलित राशि 1097.21 करोड़ रूपये अनुमानित है। इसके कार्यान्वयन के बाद संचरण प्रणाली 400 के0भी0 एवं 220 के0भी0 के स्तर पर वर्ष 2021–22 के अन्त तक कुल विद्युत माँग को पूरा करने में सक्षम हो जायेगी। इस योजना को 2021–22 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

3. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के संचरण प्रणाली को वर्ष 2021–22 के अन्त तक बिहार के कुल विद्युत माँग को पूरा करने हेतु संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु 1097.21 करोड़(एक हजार सन्तानवे करोड़ इक्कीस लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं कुल स्वीकृत राशि का 20% की अर्थात 219.44 करोड़ (दौ सौ उन्नीस करोड़ चौवालीस लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप तथा शेष 80% अर्थात् 877.77 करोड़ (आठ सौ सत्तहतर करोड़ सत्तहतर लाख) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में तत्काल 20.00 करोड़(बीस करोड़) रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0101– बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 की परियोजना, माँग सं0–10, विपत्र कोड–10–4801057890101 विषय शीर्ष 5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0044–बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि०, व्यय शीर्ष–L8448001200044 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200044 में जमा की जाएगी।

6. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA272 से की जाएगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0/BSPTCL–07/2017 के पृष्ठ संख्या–8/टि0 पर दिनांक–07.11.2017 को प्राप्त है।

9. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0/BSPTCL–07/2017 पृष्ठ संख्या–11/टि0 पर दिनांक–08.11.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/BSPTCL–07/2017 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/BSPTCL–07/2017 3489 /पटना, दिनांक– 20/11/2017

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/उप महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

पटना में दिनांक–07 नवम्बर, 2017 मंगलवार को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

1. वित्तीय वर्ष 2017–18 से स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से सहरसा प्रमंडल के सहरसा, पूर्णियाँ प्रमंडल के पूर्णियाँ एवं मुंगेर प्रमंडल के मुंगेर में एक –एक नये प्राक्–परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन एवं पदों की स्वीकृति, वर्ष 2011–12 में गैर योजना व्यय समिति से संचालन की स्वीकृति प्राप्त प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों यथा, गया, सारण (छपरा), मुजफ्फरपुर एवं भोजपुर (आरा) में पदों की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2009–10 से चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना के परिसर में संचालित Student Guidance Centre प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन की स्वीकृति। — 1. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

2. कर्मनाशा नदी पर जैतपुरा पम्प नहर योजना का निर्माण कार्य (प्राक्कलित राशि ₹ 3943.15 लाख (उन्चालिस करोड़ तैतालिस लाख पन्द्रह हजार रूपये)) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव। — 2. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

3. राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सकों की सेवानिवृति की उम्र सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष करने के संबंध में। — 3. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

4. सरकारी सेवकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी के रूप में सेवा–निवृत्त पदाधिकारियों को सूचीबद्ध करने हेतु प्रक्रिया एवं सेवा शर्त्त अवधारण के संबंध में। — 4. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

5. बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी संवर्ग नियमावली–2017 की स्वीकृति के संबंध में। — 5. स्वीकृत।

वित्त विभाग

6. विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत मजदूर/नियमित मजदूर के लिए दिनांक–01.01.2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन मैट्रिक्स के अन्तर्गत नया वेतन स्तर (–1) की अनुमान्यता के संबंध में। — 6. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

7. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के संचरण प्रणाली को वर्ष 2021—22 के अन्त तक बिहार के कुल विद्युत माँग को पूरा करने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत 400 के०भी० के तीन ग्रिड उपकेन्द्र क्रमशः सीतामढ़ी, सहरसा एवं चन्दौती से संबंधित Downlinking संचरण प्रणाली के निर्माण हेतु 1409.36 करोड़ (चौदह सौ नौ करोड़ छत्तीस लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि का 20% अर्थात 281.87 करोड़ (दो सौ इक्यासी करोड़ सतासी लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप, जिसमें 50.00 (पचास) करोड़ रूपये चालू वित्तीय वर्ष 2017—18 में एवं शेष अगले वित्तीय वर्षों में तथा शेष 80% अर्थात 1127.49 करोड़ (ग्यारह सौ सताईस करोड़ उनचास लाख) रू० राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 7. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशान विभाग

8. वर्ष 2018 के लिए बिहार सरकार के कार्यालयों में अवकाश और निगोसियेबुल इन्स्ट्रूमेंट्स ऐक्ट के अन्तर्गत बिहार राज्य में अवकाश की घोषणा। — 8. **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

9. दोनों वितरण कंपनियों यथा—नार्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के क्षेत्राधीन पूर्व से स्थापित वितरण प्रणाली के अंतर्गत 33 के०भी०, 11 के०भी०, निम्न विभव लाईन के जीर्णोद्धार एवं नवीकरण करने हेतु साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के लिये 1418.08 करोड़ (एक हजार चार सौ अठारह करोड़ आठ लाख) रूपये एवं नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के लिए 1652.14 करोड़ (एक हजार छः सौ बावन करोड़ चौदह लाख) रूपये अर्थात कुल 3070. 22 करोड़ (तीन हजार सत्तर करोड़ बाईस लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 9. **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

10\. बिहार राज्य के अन्तर्गत पटना एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के संचरण प्रणाली का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 2353.12 करोड़ (तेईस सौ तिरपन करोड़ बारह लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति तथा इसके कार्यान्वयन हेतु :– 10. स्वीकृत।

(क) बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० द्वारा कार्यान्वित 400 के०भी० जी०आई०एस० सब स्टेशन, बख्तियारपुर एवं संबंधित संचरण लाईन के लिए कुल रू० 664.76 करोड़ (छः सौ चौसठ करोड़ छिहत्तर लाख) की योजना की स्वीकृति एवं कुल स्वीकृत राशि का 20% अर्थात 132.95 करोड़ (एक सौ बत्तीस करोड़ पंचानवे लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप, तथा शेष 80% अर्थात् 531.81 (पाँच सौ इकतीस करोड़ इकासी लाख), करोड़ रू० राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति

एवं

(ख) बिहार ग्रिड कम्पनी लि० के द्वारा कार्यान्वित 1688.36 करोड़ (सोलह सौ अठासी करोड़ छत्तीस लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति तथा इस योजना के लिए बिहार स्टेट पावर (हो०) कम्पनी लि० के हिस्सा पूँजी 10% अर्थात 168.836 करोड़ (एक सौ अरसठ करोड़ तेरासी लाख छः हजार) रूपये की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 में वर्त्तमान में प्रावधानित राशि में से 21.50 करोड़ (इक्कीस करोड़ पचास लाख) रूपये तथा शेष राशि अगले दो वित्तीय वर्ष में बिहार स्टेट पावर (हो०) कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

ऊर्जा विभाग

11\. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के संचरण प्रणाली को वर्ष 2021–22 के अन्त तक बिहार के कुल विद्युत माँग को पूरा करने हेतु संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु 1097.21 करोड़ (एक हजार सन्तानवे करोड़ इक्कीस लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं कुल स्वीकृत राशि का 20% की अर्थात 219.44 करोड़ (दो सौ उन्नीस करोड़ चौवालीस लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप, जिसमें 50.00 (पचास) करोड़ रूपये चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में एवं शेष अगले वित्तीय वर्षों में तथा शेष 80% अर्थात 877.77 करोड़ (आठ सौ सतहत्तर करोड़ सत्तहतर लाख) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 11. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

12.	बरौनी उर्वरक प्लान्ट के पुनर्वास हेतु हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लि० (HFCL) के प्रस्तावित 480 एकड़ भूमि लीज एग्रीमेन्ट 55 वर्षों के लिए हिन्दुस्तान उर्वरक और रसायन लि० (HURL) को आन्तरण किए जाने पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क लगभग ₹ 216.00 करोड़ (दो सौ सोलह करोड़ रूपये) की छूट की स्वीकृति के संबंध में।	12.	स्वीकृत।

कृषि विभाग

13.	कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में तकनीकी सहयोग करने हेतु संविदा नियोजित कृषि समन्वयकों (2745) का मानदेय ₹ 15000/—(पन्द्रह हजार) प्रतिमाह से बढ़ोत्तरी कर दिनांक—01.04.2017 से ₹ 32,000/—(बत्तीस हजार) रूपये स्वीकृति के संबंध में।	13.	स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

14.	भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत निरूपण उपभाग के लिए गैर योजना मद में ₹ 34,56,000/—(चौंतीस लाख छप्पन हजार रूपये) के अनुमानित वार्षिक व्यय पर Design Support Unit के गठन सहित संविदा आधारित आवश्यक पदों अर्थात सहायक अभियंता के कुल 08 (आठ) पदों का सृजन।	14.	स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

15.	स्व० जगन्नाथ राम, दैनिक वेतनभोगी कर्मी, पाटलीपुत्र भवन प्रमंडल, पटना को उनकी मृत्यु की तिथि दिनांक—17.08.2012 के प्रभाव से स्वीपर (चतुर्थवर्गीय पद) के रिक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में।	15.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

16.	माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एम०जे०सी० संख्या —485/13 सावित्री देवी एवं अन्य बनाम बी०एन०मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा एवं अन्य में दिनांक—01.09.2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में बी०एन०मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा के अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालय एम०जे०एम०कॉलेज, कटिहार में वर्ग—III के 04 पद वेतनमान 535—765 एवं 730—1080 में तथा वर्ग IV के 03 पद वेतनमान 350—425 में अर्थात शिक्षकेत्तर कर्मियों के कुल सात अधिसंख्य पदों के सृजन की स्वीकृति दिनांक—31.07.1992/02.08. 1992 से किये जाने एवं 31.07.1992 से 05.02.2015 तक बकाये वेतनादि के भुगतान के संबंध में।	16.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

17.	इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वास्थ्य विभाग हेतु स्वीकृत उद्व्यय के अन्तर्गत रू० 1,15,00,00,000/–(रूपये एक सौ पन्द्रह करोड़) मात्र की राशि आंतरिक सामंजन कर बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त कर उपबंधित कराये जाने की स्वीकृति के संबंध में।	17.	**स्वीकृत।**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

18.	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना में नवसृजित अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान, सृजित एवं संचालित किये जाने के कारण बढ़ते कार्यबोझ के मद्देनजर प्रशाखा पदाधिकारी के 03 (तीन) पद एवं सहायक के 12 (बारह) पद सृजन किये जाने तथा 03 (तीन) उच्च वर्गीय लिपिक एवं 03 (तीन) निम्न वर्गीय लिपिक के स्थान पर डाटा इण्ट्री ऑपरेटर तथा 06 (छः) कार्यालय परिचारी की सेवा आउटसोर्स से प्राप्त करने के संबंध में।	18.	**स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

19.	बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के तहत समाहितीकरण योजना का विकल्प चयनित करने वाले व्यवसायियों के लिए वर्ष 2017–18 हेतु एकमुश्त वार्षिक कर की राशि को आनुपातिक रूप से कम करने के संबंध में।	19.	**स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

20.	बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 में संशोधन करने के संबंध में।	20.	**स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

21.	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में सहायक अनुदान के रूप में राज्यांश मद में उपबंधित अवशेष राशि कुल 33400.00 लाख (तीन अरब चौंतीस करोड़) रूपये के एक मुश्त अग्रिम निकासी के संबंध में।	21.	**स्वीकृत।**

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

22.	नालंदा जिलान्तर्गत बिहार पुलिस एकेडमी, राजगीर के अवशेष निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 290,07,41,119 (दो सौ नब्बे करोड़ सात लाख एकतालीस हजार एक सौ उन्नीस रू०) मात्र की चालू स्कीम की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि का व्यय राज्य योजना मद से चालू एवं अनुवर्ती वर्षों में करने के संबंध में।	22.	**स्वीकृत।**

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

Annexure IX
459

पत्रांक – प्र02 / बि0स्टे0पा0ट्रा0क0लि0–05 / 2014 पटना, दिनांक –

Annex– I

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– बिहार राज्य के 17 राजस्व अनुमंडल में 132 / 133 के0भी0 क्षमता वाले (ए0आई0एस0) ग्रिड सब–स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में 668.72 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना में शामिल खगड़िया जिला अन्तर्गत गोगरी में प्रस्तावित ग्रिड सब–स्टेशन के बदले पटना जिला के पालीगंज में (2X50) एम0भी0ए0, 132 / 33 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेशः स्वीकृत।

राज्यादेश संख्या 5238 दिनांक 9.12.2014 द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड अन्तर्गत 17 राजस्व अनुमंडल में ग्रिड सब–स्टेशन एवं संचरण लाईन के निर्माण की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन राजस्व अनुमंडलों में शामिल खगड़िया जिला अन्तर्गत गोगरी राजस्व अनुमंडल में 132 / 133 के0भी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) ग्रिड सब–स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण की भी स्वीकृति दी गई है।

2. वर्त्तमान में गोगरी अनुमंडल में आवश्यकता अनुसार 220 / 132 / 33 के0भी0 उपकेन्द्र का निर्माण कार्य एक अलग योजना अन्तर्गत किया जा रहा है।

3. बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड द्वारा 400 / 220 / 132 / 33 के0भी0 का ग्रिड उपकेन्द्र बनाने का निर्णय लिया गया था एवं इसी को ध्यान में रखते हुए पालीगंज राजस्व अनुमंडल में 132 / 33 के0भी0 ग्रिड उपकेन्द्र के निर्माण की योजना राज्य योजना में शामिल नहीं किया गया था परंतु बी0जी0सी0एल0 द्वारा आवश्यकता अनुसार भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्रिड उपकेन्द्र का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार वर्तमान में पालीगंज में कोई भी ग्रिड सब–स्टेशन प्रस्तावित अथवा निर्माणाधीन नहीं है एवं इसलिय यह मत गठित हुआ कि गोगरी अनुमंडल के बदले पालीगंज अनुमंडल में 132 / 33 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाईन का निर्माण कराया जाय। इस ग्रिड के निर्माण से 33 के0भी0 फिडरो की लम्बाई कम होगी एवं उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवतापूर्ण बिजली पहुचाई जा सकेगी।

4. उपर्युक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य के 17 राजस्व अनुमंडल में 132 / 133 के0भी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) ग्रिड सब–स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में 668.72 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना में शामिल खगड़िया जिला अन्तर्गत गोगरी में प्रस्तावित ग्रिड सब–स्टेशन के बदले पटना जिला के पालीगंज में (2X50) एम0भी0ए0, 132 / 33 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Sri Mrutyunjaya ABE.
15/9/16

कृ0पृ0उ0

Scanned by CamScanner

उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद का अनुमोदन संचिका संख्या बि0स्टे0पा0ट्रा0क0लि0--05/2014 के पृष्ट संख्या 30/टि0 पर दिनांक 30.08.2016 को प्राप्त है।

राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या प्र02/बि0स्टे0पा0ट्रा0क0लि0--05/2014 के पृष्ठ संख्या--32/टि0 पर दिनांक 02.09.2016 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(अजय नायक)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक प्र02/बि0स्टे0पा0ट्रा0कं0लि0--05/2014 2708 दिनांक 07/09/2016

प्रतिलिपि :-- वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग पटना/ अवर सचिव--सह--निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग पटना/अध्यक्ष--सह--प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड/प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड एवं महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

Scanned by CamScanner

(

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र0 / BSPTCL-01/2018 पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः **बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 के सभी ग्रिड उपकेन्द्रो के रियल टाइम डाटा संचार एवं दूरभाष को बिहार राज्य भार प्रेषण केन्द्र से विश्वसनीय संचार माध्यम द्वारा यथा ओ0पी0जी0डब्ल्यू0 माध्यम से जोड़ने हेतु कुल 195.07 करोड़ (एक सौ पंचानवे करोड़ सात लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि का 20% अर्थात 39.014 करोड़ (उनचालीस करोड़ एक लाख चालीस हजार) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 156.056 करोड़ (एक सौ छप्पन करोड़ पॉच लाख साठ हजार) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में 10.00 करोड़ (दस करोड़) रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः– स्वीकृत।

बिहार राज्य भार प्रेषण केन्द्र के अनुश्रवण की प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु एवं आपदा की स्थिति में विद्युत की बहाली तुरंत करने मे सहायता प्रदान करने हेतु सारे ग्रिड उपकेन्द्र (संचालन एवं निर्माणाधीन) एवं अन्य कार्यों के लिए रिलायवेल कम्यूनिकेशन तथा डाटा एक्यूजीशन के तहत ओ0पी0जी0डब्ल्यू0 एवं इससे सम्बंधित फाइबर ऑप्टेकल टर्मिनल यंत्र एवं आर0 टी0 यू0 के साथ ही बैकअप राज्य भार प्रेषण केन्द्र का काम किया जाना है, जिससे की सभी ग्रिड उपकेन्द्रो के रियल टाइम डाटा संचार एवं दूरभाष बिहार राज्य भार प्रेषण केन्द्र में उपलब्ध हो सकेगा। योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल प्राक्कलित राशि 195.07 करोड़ (एक सौ पंचानवे करोड़ सात लाख) रूपये अनुमानित है, जिसमें 3569 कि0मी0 ओ0पी0जी0डब्ल्यू0, 162 फाइबर ऑप्टेकल टर्मिनल यंत्र, 44 आर0 टी0 यू0, 60 डी0सी0 पावर सप्लाई सिस्टम तथा एक बैकअप राज्य भार प्रेषण केन्द्र का काम किया जाना है। इस योजना को 2020–21 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

2. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 के सभी ग्रिड उपकेन्द्रो के रियल टाइम डाटा संचार एवं दूरभाष को बिहार राज्य भार प्रेषण केन्द्र से विश्वसनीय संचार माध्यम द्वारा यथा ओ0पी0जी0डब्ल्यू0 माध्यम से जोड़ने हेतु कुल 195.07 करोड़ (एक सौ पंचानवे करोड़ सात लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि का 20% अर्थात 39.014 करोड़ (उनचालीस करोड़ एक लाख चालीस हजार) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 156.056 करोड़ (एक सौ छप्पन करोड़ पॉच लाख साठ हजार) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में 10.00 करोड़ (दस करोड़) रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि माँग सं0–10, मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष–190– सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष–0105–बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 की परियोजना, विपत्र

(3)

कोड–10–4801051900105, विषय शीर्ष 5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी0एल0खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120– अन्य निधियाँ, उपशीर्ष– 0044–. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0, व्यय शीर्ष–एल0 8448001200044 एवं प्राप्तियाँ–के0 8448001200044 में जमा की जायेगी।

5. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गये पी0एल0 खाता संख्या–PLA272 से की जायेगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं हैं।

7. उक्त योजना की स्वीकृति पर सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0/BSPTCL-01/2018 के पृष्ठ संख्या 09/टि0 पर दिनांक 11.07.2018 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0/BSPTCL-01/2018 के पृष्ठ संख्या–12/टि0 पर दिनांक–18.07.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/BSPTCL-01/2018–. पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/BSPTCL-01/2018–2059 पटना, दिनांक–26/07/2018

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
<u>ऊर्जा विभाग</u>

पत्रांक–प्र0 / BSPTCL-03/2018 पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः **बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 7 (सात) नये ग्रिड सब–स्टेशन के निर्माण एवं सारण जिला के एकमा अवस्थित 132/33 KV GSS का विस्तारीकरण एवं संबंधित 220 KV के 612.20 CKM (अनुमानित) एवं 132 KV के 728 CKM (अनुमानित) संचरण लाइन एवं monopole/narrow tower के माध्यम से विभिन्न 220 एवं 132 KV संचरण लाइनों के निर्माण हेतु कुल 2149.35 करोड़ (दो हजार एक सौ उन्चास करोड़ पैतीस लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि का 20% अर्थात 429.87 करोड़ (चार सौ उन्नतीस करोड़ सतासी लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 1719.48 करोड़ (सत्रह सौ उन्नीस करोड़ अड़तालीस लाख) रू0 राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में 50.00 करोड़ (पचास करोड़) रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः– स्वीकृत।

बिहार राज्य के अन्तर्गत पटना शहरी क्षेत्र, वैशाली, किशनगंज, नालंदा, समस्तीपुर, अररिया एवं सारण जिलों में निकटतम भविष्य में होनेवाली आधारभूत संरचना के विकास एवं उसके विस्तारीकरण के मद्देनजर बढ़ती विद्युत माँग को पूरा करने हेतु ट्रांसमिशन कम्पनी के अध्ययनोपरांत संचरण प्रणाली के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 2149.35 **करोड़ (दो हजार एक सौ उन्चास करोड़ पैतीस लाख) रूपये** की योजना का कार्यान्वयन निम्नलिखित रूप से प्रस्तावित हैः–

(i) इस योजना के अन्तर्गत एक नये 220/132/33 के0भी0 जी0आई0एस0 ग्रिड उपकेन्द्र, दीघा (नयी) एवं एक 132/33 के0भी0 जी0आई0एस0 ग्रिड उपकेन्द्र बोर्ड कॉलनी, पटना में सम्बन्धित 220 के0भी0 के 192 सर्किट किलोमीटर एवं 132 के0भी0 के 16 सर्किट किलोमीटर (अनुमानित) नयी संचरण लाइन का निर्माण।

(II) वैशाली जिला के गोरौल में एक नये 2x160+3x50 एम0भी0ए0 क्षमता वाली, किशनगंज जिला के ठाकुरगंज में एक नये 2x160+3x50 एम0भी0ए0 क्षमता वाली, नालंदा जिला के अस्थावाँ में एक नये 2x160+3x50 एम0भी0ए0 क्षमता वाली, समस्तीपुर जिला के ताजपुर में एक नये 2x160+3x50 एम0भी0ए0 क्षमता वाली, पलासी (अररिया) में एक नये 2x50 एम0भी0ए0 क्षमता वाली 132/33 के0भी0 ग्रिडसब–स्टेशन तथा सारण जिला में अवस्थित 132/33 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशन, एकमा का विस्तारीकरण एवं संबंधित 220 के0भी0 के 612.20 सर्किट किलोमीटर (अनुमानित) एवं 132 के0भी0 के 728 सर्किट किलोमीटर (अनुमानित)संचरण लाइन का निर्माण।

(III) इसके अलावा monopole/narrow based tower के माध्यम से विभिन्न 220 एवं 132 के0भी0 संचरण लाइनों का निर्माण।

2. नालंदा जिले में अस्थावाँ फीडर के overload होने के कारण इस क्षेत्र की विद्युत मांग में काफी वृद्धि हुई है तथा भविष्य में और वृद्धि होने का अनुमान है। इसके अलावा किशनगंज जिले का ठाकुरगंज प्रखण्ड. में चाय की फैक्ट्रियाँ अत्यधिक है एवं भविष्य में चावल उत्पादन होने की सम्भावना है, साथ ही निकटवर्ती पश्चिम बंगाल एवं नेपाल के लिए भी वैकल्पिक संचरण श्रोत की उपलब्धता हो जाएगी। अररिया जिले के पलासी क्षेत्र के बढ़े हुए मॉगों की पूर्ति हेतु वर्त्तमान में अवस्थित फारबिसगंज ग्रिड सक्षम नहीं है। इसी क्रम में वैशाली जिले का गोरौल प्रखण्ड में विद्युत मांग में काफी वृद्धि हुई है तथा भविष्य में और वृद्धि होने का अनुमान है। कुल मिलाकर वर्त्तमान में अवस्थित ग्रिड उपकेन्द्र बढ़े हुए मांग की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है। फलस्वरूप इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध नहीं हो पाती है। साथ ही लाईन की लम्बाई अधिक होने के कारण अधिक लाईन लॉस होती है और लो भोल्टेज की समस्या बनी रहती है। यदा–कदा ब्रेक–डाउन भी होते रहते हैं। अतः इस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति करने के लिए उपरोक्त ग्रिड उपकेन्द्रों की स्थापना आवश्यक है। इस योजना के अंत में पटना शहरी क्षेत्र, वैशाली, किशनगंज, नालंदा, समस्तीपुर, अररिया एवं सारण जिलों में सम्भावित 1100 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उपलब्धता हो सकेगी।

3. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 7 (सात) नये ग्रिड सब–स्टेशन के निर्माण एवं सारण जिला के एकमा अवस्थित 132/33 KV GSS का विस्तारीकरण एवं संबंधित 220 KV के 612.20 CKM (अनुमानित) एवं 132 KV के 728 CKM (अनुमानित) संचरण लाइन एवं monopole/narrow tower के माध्यम से विभिन्न 220 एवं 132 KV संचरण लाइनों के निर्माण हेतु कुल 2149.35 करोड़ (दो हजार एक सौ उन्चास करोड़ पैतीस लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि का 20% अर्थात 429.87 करोड़ (चार सौ उन्नतीस करोड़ सतासी लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 1719.48 करोड़ (सत्रह सौ उन्नीस करोड़ अड़तालीस लाख) रू0 राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में 50.00 करोड़ (पचास करोड़) रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि माँग सं0–10, मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0101– बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 की परियोजना, विपत्र कोड–10–4801057890101, विषय शीर्ष 5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी0एल0खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120– अन्य निधियाँ, उपशीर्ष– 0044– बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0, व्यय शीर्ष–एल0 8448001200044 एवं प्राप्तियाँ–के0 8448001200044 में जमा की जायेगी।

6. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गये पी0एल0 खाता संख्या–PLA272 से की जायेगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं हैं।

8. उक्त योजना की स्वीकृति पर सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0/BSPTCL-03/2018 के पृष्ठ संख्या 11/टि0 पर दिनांक 11.07.2018 को प्राप्त है।

9. राज्यादेश पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0/BSPTCL-03/2018 के पृष्ठ संख्या–14/टि0 पर दिनांक–18.07.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/BSPTCL-03/2018. पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/BSPTCL-03/2018. 2028 पटना, दिनांक– 24/07/2018

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

GM (F&A).

बिहार सरकार
उर्जा विभाग

पत्रांक – प्र02 / बी0आर0जी0एफ0–04 / 2014 पटना, दिनांक – 21 AUG 2017

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क0 लि0 के विद्युत् संचरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण फेज–III के अधीन "एन–1 अनुपालन" की बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत 371.98 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में 80.14 करोड़ (अस्सी करोड़ चौदह लाख) रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेशः स्वीकृत।

राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क0 लि0 के विद्युत संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज–III के अधीन "एन–1 अनुपालन" की 291.84 करोड रूपये की योजना बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा विमुक्त की जानेवाली राशि के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2016–17 के बीच बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति राज्यादेश संख्या–2820 दिनांक 04.08.2014 द्वारा प्रदान की गयी है।

2. वित्तीय वर्ष 2014–15 में बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के तहत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No.44(4)PF1/2014-1370 दिनांक 05.02.2015 द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के फेज–III के अधीन "एन–1 अनुपालन" की 291.84 करोड रूपये की स्वीकृत योजना के विरूद्ध 26.00 करोड रूपये विमुक्ति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2014–15 में 26.00 करोड़ (छब्बीस करोड़ रूपये) रूपये राज्यादेश संख्या–569 दिनांक 19.02.2015 द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य सरकार द्वारा बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण फेज–III के अधीन एन–1 अनुपालन की 291.84 करोड रूपये की स्वीकृत योजना के बदले पुनरीक्षित लागत 371.98 करोड रूपये जिसका मुख्य कारण उदाकिशनगंज–सोलवर्सा लाईन, दलसिंहसराय–कुशेश्वरस्थान एवं करपी–गोह संचरण लाईन की लम्बाई में वृद्धि है, की योजना की स्वीकृति एवं इस परियोजना के पुनरीक्षित लागत के अन्तर की राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध नही कराये जाने की स्थिति में राज्य योजना से वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 के बीच उपलब्ध कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति राज्यादेश संख्या–2458 दिनांक 24.08.2015 द्वारा प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्यादेश संख्या–2606, दिनांक 07.09.2015 के द्वारा 40.00 करोड, राज्यादेश संख्या–459, दिनांक 17.02.2016 के द्वारा 130.00 करोड रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्यादेश संख्या–425, दिनांक 13.02.2017 के द्वारा 95.84 करोड़ रूपये अर्थात् कुल 291.84 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त शेष राशि 80.14 करोड़ रूपये की मांग बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के द्वारा की गई है।

4. उक्त आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क0 लि0 के विद्युत् संचरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण फेज–III के अधीन "एन–1 अनुपालन" की बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत 371.98 करोड रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में 80.14 करोड (अस्सी करोड़ चौदह लाख) रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कृ0पृ0ऊ0...

1594/CMD 21/08/17

GM(F&A) 23/8/17

034/MD(Tr) 23.08.17

DGM(F&A) 24/8/17

SM 24.8.17

AO, cash 24/08

5. यह राशि मुख्य शीर्ष–4801–बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष 05–संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष 0101–बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 की परियोजना, मांग संख्या–10 विपत्र कोड संख्या–10–4801057890101, विषय शीर्ष 0101.54.01–निवेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी0 एल0 खाता) मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0044–बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 व्यय शीर्ष एल0 8448001200044 एवं प्राप्तियाँ–के0–8448001200044 में जमा की जाएगी।

7 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी0एल0 खाता संख्या PLA272 से की जाएगी।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार मन्त्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र02 / बी0आर0जी0एफ0–04 / 2014 के पृष्ठ संख्या 29 / टि0 पर दिनांक 22.08.2015 को प्राप्त है।

10. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहाकर की सहमति संचिका संख्या–प्र02 / बी0आर0जी0एफ0–04 / 2014 के पृष्ठ संख्या 39 / टि0 पर दिनांक 03.08.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –
(प्रत्यय अमृत),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:– प्र02 / बी0आर0जी0एफ0–04 / 2014 दिनांक ....

प्रतिलिपि:–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:– प्र02 / बी0आर0जी0एफ0–04 / 2014 200 दिनांक 04/08/2017

प्रतिलिपि:–वित्त विभाग, बजट शाखा / प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना / लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना / आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना / अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 / प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

BSPGCL